तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज **बुदरा बनाम पुरखा वगैरह, मुकदमा संख्या 59/2014**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख के जारी हुये
19.06.2024	पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा दाता में खसरा संख्या 171 रकबा 1.43 है, खसरा संख्या 182 रकबा 0.04 है, खसरा संख्या 183 रकबा 1.32 है, खसरा संख्या 184 रकबा 0.01 है, खसरा संख्या 185 रकबा 0.02 है, खसरा संख्या 186 रकबा 1.27 है, खसरा संख्या 187 रकबा 0.05 है, खसरा संख्या 188/1096 रकबा 0.11 है, खसरा संख्या 208 रकबा 1.07 है, खसरा संख्या 209 रकबा 1.29 है, खसरा संख्या 269/1287 रकबा 0.08 है, खसरा संख्या 269/1288 रकबा 0.07 है, खसरा संख्या 825 रकबा 0.65 है, खसरा संख्या 825/1286 रकबा 0.09 है, खसरा संख्या 883 रकबा 1.42 है, जूमले रकबा 8.92 हैक्टेयर आई हुई है जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थी का एवं 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 पुरखा का है। उक्त आराजी का विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य घरेलु विवाद चल रहा है अप्रार्थी संख्या 3 साजनराम ने अप्रार्थी संख्या 1 को बहला फुसलाकर प्रार्थी को नुकसान करने की नियत से विधि–विरूद्व बंटवाड़ा होना बताकर जरिये बेचान दस्तावेज उप पंजीयन कार्यालय सांचौर से पंजीयन करवा लिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से अप्रार्थी संख्या 3 साजनराम ने परटीकूलर लेण्ड का बंटवाड़ा होते हुए बेचान की है इस प्रकार कोई भी सहकाश्तकार सक्षम अदालत के बंटवाड़ा के अभाव में एनी परटीकूलर लेण्ड पड़ौस दर्शाते हुए बेचान नहीं कर कर सकता तथा न ही ऐसा बेचान करने का कोई प्रावधान है। उक्त अवैध बैचान दस्तावेज दिनांक 29.09.2009 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने नाम से नामान्तरकरण संख्या 310 दिनांक 23.11.2009 को रातों रात भरवा लिया, जो गलत है। अप्रार्थी संख्या 3 गलत बेचान दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी रेकॉर्डड खातेदार बुदरा एवं पुरखा की अविभाजित संपति के खेत में जबरन कब्जा करना चाहते है तथा बेचान दस्तावेज में वर्णित भूमि 0.05 है में से जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है, अगर ऐसा हुआ तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। चुंकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की है जिसका अभी तक विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा मौके पर कब्जा प्रार्थी का है इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के नहीं रोका गया तो वे जबरन अवैध बेचाननामा से बेचान हुई जमीन पर रास्ता निकाल देंगे तथा कब्जा कर देंगें, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार तीनों मुलभूत कानुनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मनगंढत एवं सारहीन होने से प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। मैनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन् व अवलोकन किया गया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** अतः प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा दाता के उपरोक्त खसरा नंबरान की वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का रास्ता नहीं निकालकर मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) सांचौर सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर	